



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032023-244227
CG-DL-E-10032023-244227

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1045]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2023/फाल्गुन 18, 1944

No. 1045]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2023/PHALGUNA 18, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2023

का.आ. 1089(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.3791, दिनांक 12.08.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 63.200 से कि.मी. 92.811 (सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), कन्नोद (म.प्र.)) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18.09.2022" को "दैनिक भास्कर" और "फ्रीप्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले में NH59A के कि.मी. 63.200 से कि.मी. 92.811 (सब डिवीज़नल ऑफिसर (रा.), कन्नोद (म.प्र.)) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: देवास			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कन्नोद				
	गांव का नाम: सुंदेल				
1	264	निजी	सिंचित	0.15	कैलाश पिता चम्पालाल (264)
2	265	निजी	सिंचित	0.09	रामनारायण पिता चम्पालाल (265/1)
3	265	निजी	सिंचित	0.03	कैलाश पिता चम्पालाल (265/2)
4	268	निजी	सिंचित	0.01	गेन्दालाल पिता देवा (268)
5	272/2	निजी	सिंचित	0.05	गोविंद जगदीश पिता गबूलाल (272/2)
6	272/3	निजी	परिवर्तित	0.004	गोविंदनारायण पिता बद्रीनारायण पंचोली (272/3)
7	273	निजी	सिंचित	0.04	विजयसिंह पिता नारायणसिंह (273)
			कुल	0.374	

[फा. सं.NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D1]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2023

S.O. 1089(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3791, Dated 12.08.2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH59A on the stretch of land from Km 63.200 to Km 92.811 (Sub Divisional Officer (R), Kannod, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Free Press” both dated 18.09.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH59A in the stretch of land from Km. 63.200 to 92.811 (Sub Divisional Officer (R), Kannod, District - Dewas (M.P.)) in the district of DEWAS in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: DEWAS		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Kannod				
	Village: Sundrel				
1	264	Private	Irrigated	0.15	Kailash S/o Champalal 264
2	265	Private	Irrigated	0.09	Ramnarayan S/o Champalal 265/1
3	265	Private	Irrigated	0.03	Kailash S/o Champalal 265/2

4	268	Private	Irrigated	0.01	Gendalal S/o Deva 268
5	272/2	Private	Irrigated	0.05	Govind, Jagdish S/o Gabulal 272/2
6	272/3	Private	Diverted	0.004	Govindnarayan S/o Badrinarayan Pancholi 272/3
7	273	Private	Irrigated	0.04	VijaySingh S/o Narayansingh 273
			TOTAL	0.374	

[F. No. NHAI/LA/2017/3(a)-Notif/PIU-Indore/3D1]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.